www.researchvidyapith.com **ISSN (Online): 3048-7331**

Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal

(International Open Access, Peer-reviewed & Refereed Journal)

(Multidisciplinary, Monthly, Multilanguage)

*** Vol-2* *Issue-6* *June 2025***

पंचायतीराज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम

प्रमोद सिंह

शोधार्थी, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र, सी.सी.एस.पी.जी. कॉलेज, हेंवरा, इटावा (उ0प्र0)

प्रो0 उदयवीर सिंह

शोध निर्देशक, समाजशास्त्र विभाग, कर्मक्षेत्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इटावा (उ0प्र0)

सारांश

महिला सशक्तिकरण वर्तमान समाज की एक महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक विमर्श है। भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में पिछले कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा का प्रयोग हो रहा है। वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक स्थान पुरूषों से किसी प्रकार कम नहीं था। प्रारम्भ में हिन्दू समाज में स्त्रियों को काफी अधिकार सम्मान प्राप्त थे, गार्गी, मैत्रेयी इत्यादि उस काल की प्रसिद्ध महिलाएँ थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तथा उसके बाद के काल में समाज की मौलिक व्यवस्थाओं ने रूढ़ियों का रूप भी ग्रहण कर लिया, जिसके फलस्वरूप बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा के फलस्वरूप महिलाओं की प्रस्थिति निरन्तर गिरती चली गयी। पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था के द्वारा स्त्रियों के अधिकार कम हो गए। उनका स्वतंत्र रूप से बाहर जाना भी प्रतिबंधित हो गया। इस प्रकार समाज में उनकी भागीदारी कम होती चली गयी, सरकार की ओर से निरन्तर प्रयास किया जा रहा है कि महिला अधिक से अधिक सशक्त हो और स्वालम्बी बने इसके तहत जहाँ विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, वही राजनीतिक रूप से उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है। पहला प्रयास पंचायतीराज अधिनियम में किए गए परिवर्तन के जरिए किया गया। भारत जैसे परम्परागत समाजों में जहाँ नारी को देवताओं की भांति पूजा जाता रहा है, वहाँ आज भी दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, वेश्वावृत्ति एवं विधवाओं सम्बन्धी अनेक समस्याएँ मौजूद हैं, जहाँ विश्व के लगभग सभी समाजों में महिलाओं का स्तर पुरूषों के समान नहीं है। वर्तमान सामाजिक ढांचे में पुरुषों को अधिक अधिकार संसाधन और निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है। महिलाओं को परम्परागत भूमिकाएँ सौंपी गई है। विश्व के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, परन्तु इस परिवर्तनशील परिवेश में महिलाओं की स्थिति में चुनौती में स्वयं को पुरुषों के समान पेश किया है। उन्हें जब भी अवसर मिले तो उन्होंने पुरूष प्रत्याशियों से अच्छा प्रदर्शन किया। यह स्थिति तब है जब वे घर और बाहर बहुल भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व निभा रही है। महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान के बीच घनिष्ठ सम्बंध होने की सच्चाई को स्वीकार करने के समग्र और वृहद दृष्टिकोण से महिलाओं के सशक्तिकरण के बारे में आशा को बल मिलता है।

प्रस्तावनाः प्राचीन समाज में महिलाओं की स्थितिः

भारतीय समाज में आधुनिक नारी की स्थिति तथा उससे जुड़े हुए प्रश्नों की चर्चा करने से पूर्व इतिहास के पृष्ठों पर महिलाओं का कैसा चित्र अंकित है यह समझना आवश्यक है, प्राचीन भारतीय समाज में महिलाओं का दर्जा बहुत ऊँचा था। प्राचीन युग में महिलाओं का स्थान बहुत ऊँचा था प्राचीन युग में महिला की स्थिति बहुत अच्छी थी तथा उसकी उच्चता के प्रेरक तत्व कौन–कौन से थे उसका ह्रास कब कैसे हुआ यह समझने के लिए इतिहास पर दृष्टिपात अनिवार्य है। भारतीय व्यवस्था के इतिहास में महिलाओं की स्थिति एक लंबे समय से विवाद का विषय रही है। भारतीय समाज में महिलाओं को सम्पत्ति ज्ञान और शक्ति का प्रतीक माना गया है जिसकी अभिव्यक्ति के रूप में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा की जाती है। वैदिक और उत्तरवैदिक के पश्चात् हमारे समाज की मौलिक व्यवस्थाएँ, रूढ़ियों के रूप में परिवर्तित होने लगी और फलस्वरूप महिलाओं में लज्जा, ममता और बेह के गुणों को उनकी दुर्बलता समझकर पुरूप ने उनका

मनमाना शोषण करना आरम्भ कर दिया। ऐसी प्रवृत्तियों को स्मृतिकारों और धर्मशास्त्रकारों का आर्शीवाद प्राप्त होने के कारण महिलाएँ धीरे–धीरे परतंत्र निसहाय और निर्बल बन गयी।

आधुनिक काल में महिलाओं की स्थितिः 19वीं सदी का प्रारम्भ महिलाओं की स्थिति सुधारने की चेतना के साथ हुआ, क्योंकि समाज में बुद्धिजीवियों को महिलाओं की स्थिति ने झकझोर दिया था, जिससे इन्होंने समाज सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया। इसी कड़ी में आर्य समाज, ब्रह्म समाज द्वारा किए गए प्रयास से महिलाओं की स्थिति में सुधार का कार्य बढ़ता रहा। बाल विवाह जैसी कुप्रथा का अन्त हुआ। राजाराम मोहन राय ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयत्नों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। महिला आंदोलन प्रारम्भ हुआ इससे रमाबाई मैडम कामा, एनी बेसेण्ट आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व समाज सुधारकों महिला आन्दोलन राष्ट्रीय आंदोलनों ने महिला समानता की ऐसी नींव तैयार की थी, जिससे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् वैधानिक व्यवस्थाओं एवं अधिनियम द्वारा ठोस एवं मजबूत दीवार तैयार की गयी, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् देश में क्रान्तिकारी अधिनियम पास हुआ जिससे महिलाओं की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आये।

महिला सशक्तिकरण वर्षः

भारत में वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। महिला अधिकारिता के लिए 'राष्ट्रीय नीति' पारित की गयी जो कि लोगों के अन्दर जागरूकता पैदा करती है। सशक्तिकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। यह महिला में इतनी जागरूकता लाती है कि वह शक्ति को प्राप्त सके एवं उसमें सामाजिक, आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करने की क्षमता का विकास हो। यह उन्हें अपने जीवन को स्वयं निर्देशित करने के लिए प्रेरित करती है तथा घर एवं बाहर में निर्णयो में उसकी भागीदारी को बढ़ाती है।

दीक्षित (2013) के अनुसार महिला सशक्तिकरण का अर्थ है ''महिलाओं को उनकी क्षमता एवं स्वतंत्रता का एहसास कराते हुए उन्हें इतना सशक्त बनाना कि वे अपने व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक एवं आर्थिक हित से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी बन सके। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित कर सके।''

पैलिनीबूराई के शब्दों में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज के विकास की प्रक्रिया में राजनीतिक संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को पुरुषों के बराबर मान्यता दी जाती है।

महिला सशक्तिकरण के विविध आयामः

महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को विस्तार से समझने के बाद अब प्रश्न उठता है कि महिला को सशक्त कैसे बनाया जाये महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को समझने के क्रम में हम यह जान चुके हैं कि एक बहुआयामी अवध ाारणा है केवल एक दिशा में प्रयत्न करने में वांछित सफलता मिलना कठिन है यथार्थ में महिला को सशक्त बनाने के कई आयाम, कई दिशाएँ, कई प्रकार हो सकते हैं, कुछ प्रमुख आयामों को हम यहाँ विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयत्न कर रहे हैं–

महिला सशक्तिकरण के आयामः

महिला सशक्तिकरण को समझने के लिए इसके विभिन्न आयामों को समझने की आवश्यकता है इस धारणा के मूल में स्त्री–पुरुष को एक दूसरे का पूरक समझते हुए समतापूरक व्यवस्था विकसित करने की भावना निहित है इस प्रक्रिया के अनेक आयाम है जैसे–

शैक्षणिक सशक्तिकरणः एक सुशिक्षित महिला अपने ज्ञान से अपने परिवार को प्रकाशित करने के साथ–साथ स्वयं भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होती है संतान की प्रथम गुरू अर्थात् उसकी माता यदि सुशिक्षित हो तो भावी पीढ़ी के शिक्षित होने की सम्भावना कई प्रतिशत बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सामाजिक विसंगतियों से लड़ने का एक मात्र हथियार भी शिक्षा ही है इसके इस्तेमाल से स्त्रियाँ परिवार तथा समाज में सम्मान के साथ–साथ आर्थिक स्वतंत्रता भी प्राप्त करती है। ध्यान रखने योग्य यह बात है कि शिक्षित स्त्री समाज के साथ–साथ परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में अपनी राय देने के साथ–साथ निर्णय प्रक्रिया में भी भागीदारी कर सकती है। आज यह सकारात्मक परिवर्तन प्रत्येक समाज में देखा जा रहा है। लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाने में रूचि लेने लगे है।

शारीरिक/स्वास्थ्य संबंधी सशक्तिकरणः इस सशक्तिकरण का अर्थ है स्त्रियों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। कभी सबको खिलाकर सबसे पीछे खाने की परम्परा तो कई बार जीरो फिगर के कारण वह उपयुक्त आहार नहीं ले पाती है जिसके कारण शरीर कमजोर तथा रोगी बन जाता है शरीर से कमजोर महिलाएँ प्रायः गर्भवती होने पर अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हो जाती है कमजोर माँ की संतान भी कमजोर होती है, उसका स्वस्थ विकास नहीं हो जाता, जिसके कारण उसका पूरा जीवन और एक पूरी पीढ़ी प्रभावित होती है। ऐसी स्त्रियाँ योग्य होने के बाद भी प्रगति नहीं कर पाती है, इसलिए इन्हें खान–पान पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य के प्रति संचेत रहना चाहिए।

आर्थिक सशक्तिकरणः आज के युग में सभी को स्वावलंबी होना आवश्यक है। महिलाओं को अपनी योग्यता के अनुसार

अर्थोपार्जन हेतु सामने आना चाहिए। महिलाओं के आर्थिक रूप से सक्षम होने पर परिवार में समृद्धि आती है, साथ ही वह अपनी कई इच्छाओं को अपनी मर्जी से पूरा करती है। साथ ही परिवार की सारी जरूरतों में वो भी धनोपार्जन करती है आर्थिक रूप से स्वतंत्र महिला बुरे वक्त में किसी की मोहताज नहीं होती है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र मजबूत महिला को बुरे वक्त में किसी की मोहताज नहीं होनी उसे किसी के सामने तथा अपने बच्चों के पालन–पोषण के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने के लिए सरकारी अथवा निजी संस्थानों में नौकरी करने के अलावा खिया स्वयं का व्यवसाय भी करती है। यदि पति या पिता आर्थिक रूप से सम्पन्न हो तो भी अवश्य करना चाहिए ताकि वह स्वयं की योग्यता सिद्ध कर सके ताकि देश के विकास में अपना योगदान दे सके।

सामाजिक सशक्तिकरणः सामाजिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया की शुरूआत परिवार से होती है क्योंकि विभिन्न परिवारों से ही समुदाय तथा समाज का निर्माण होता है यदि परिवार में स्त्रियों के साथ समानता का आचरण हो तो वे स्वयं में सामाजिक रूप से भी सशक्त हो जाएंगी इसके लिए परिवार में पुत्र–पुत्री में भेदभाव, पत्नी के सेविका मानने के बजाय सहयोगिनी मानना उसके साथ अभद्र व्यवहार तथा अपशब्दों के प्रयोग कर पूरी तरह रोक लगाने के साथ समान व्यवहार करना आदि शामिल हैं। इस प्रक्रिया में समाज के बड़े–बूढ़ों का सहयोग तथा बाल्यावस्था से ही पुत्रों को अपनी बहन, माँ तथा सड़क पर चलने वाली लड़कियों के साथ सभ्य व्यवहार करके की शिक्षा देने चाहिए क्योंकि व्यक्ति बचपन में जो भी सीखता है, जो भी परिवार में देखता है अधिकांश युवा होने पर वही दोहराता है। सामाजिक सशक्तिकरण व प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज के वंचित वर्ग अपनी गौण स्थिति से ऊपर उठ कर आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उनके रहने की स्थिति में सुधार शिक्षा अन्य विकासात्मक सेवाओं तक पहुँच के अवसर प्रदान किए जाते हैं। स्वतंत्रता, अधिकार, आत्म आश्वासन और परिवर्तन को प्रभावित करने और उज्ज्वल भविष्य के लिए नींव स्थापित करने हेतु आवश्यक अन्य संसाधनों का प्राप्त करने की प्रक्रिया को सामाजिक सशक्तिकरण के रूप में जाना जाता है।

विविध सशक्तिकरणः भारतीय संविधान पुरूष और महिला को बराबरी का दर्जा देता है संविधान की दृष्टि से दोनों समान है स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए अनेक प्रयास हुए है। इस प्रयासों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है प्रथम श्रेणी में जिन्होंने महिलाओं को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए अनेक विविध प्रावध ाान कानून बनाए है घरेलू हिंसा का कानून एक ऐसी ही महत्वपूर्ण कानून हैं दूसरी श्रेणी में जिनमें नारी क्षमता की संबध र्न के लिए प्रोत्साहन योजना बनाई है। अपनी उन्नति और विकास के लिए महिला को उन समस्त विविध आयामों का ज्ञान होना चाहिए जो उसे शोषण से मुक्ति दिलाने और अवसरों का लाभ उठाने योग्य बनाते हैं।

राजनीतिक सशक्तिकरण : भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाएँ अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रही है। देश के राजनैतिक परिदृश्य में महिलाओं को बराबर और प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर महिला आरक्षण का प्रावधान रखा गया है स्थानीय और राष्ट्रीय निकायों के चुनाव में भी महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है, आज महिलाएँ राजनीति क्षेत्र में अपनी योग्यता और परिश्रम सफलता हासिल कर रही है। पंचायतराज व्यवस्था में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है लेकिन वर्तमान में उससे अधिक संख्या में महिला प्रत्याशी वर्तमान में उससे अधिक संख्या में महिला प्रत्याशी निर्वाचित होकर राष्ट्र को अपनी सेवाएँ दे रही है।

भावनात्मक सशक्तिकरणः यदि स्त्रियाँ शिक्षित तथा आर्थिक रूप से मजबूत हो तभी अतिशय भावुकता के कारण कई बार गलत निर्णय ले बैठती है जिससे आगे चलकर उन्हें कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए कोई बार–बार प्रताड़ित करे फिर रो धोकर माफी मांग ले, भावनात्मक रूप से कमजोर अपनी नाजायज मांग पूरी करवा ले। महिलाओं का मानसिक भावानात्मक तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता होना ही महिला सशक्तिकरण का मूल उद्देश्य है। इसके अभाव में महिला सशक्तिरण अपने वास्तविक उद्देश्य में सफल नहीं हो सकता है।

महिला सशक्तिकरण से संबंधित कुछ प्रमुख अध्ययनः

हाल के वर्षों में महिलाओं के जीवन में महत्त्वपूर्ण वदलाव हुआ है। आधुनिक महिला अब घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। महिलाएँ हर तरह से अपनी क्षमता और उपयोगिता महसूस कर रही है। साथ ही वे घर और कार्यस्थल दोनों जगहों पर लैंगिक समानता और न्याय की मांग कर रही है, चाहे तकनीक का क्षेत्र हो या अंतरिक्ष, विज्ञान, खेल, सेना सभी जगह पर महिलाएँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है।

इस बदलाव को लाने में हाल के वर्षों में सरकार ने अहम् भूमिका निभाई है गर्भ में पल रही कन्या शिशु से लेकर कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं तक की सुरक्षा की जरूरत को महसूस करते हुए कई कदम उठाए गए है, मातृत्व के सफर के जरिए महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार का अहम एजेंडा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना जैसे कार्यक्रम बच्चियों को भ्रूण हत्या का शिकार बनाने से लेकर लड़कियों की वित्तीय सुरक्षा तक सुनिश्चित करते हैं, एक स्वस्थ्य महिला ही सशक्तिकरण से जुड़ी हो सकती है। महिला सशक्तिकरण के एजेंडे में सभी जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा का मामला बेहद महत्त्वपूर्ण है। कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून,

आनलाइन शिकायत प्रणाली 181 महिला हेल्पलाइन।

महिला कल्याणकारी योजना व सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाः

महिला कल्याणकारी योजना का सम्बंध प्रत्यक्ष रूप से महिला सशक्तिकरण से जुड़ा है। महिला सशक्तिकरण को मूर्त रूप देने के लिए महिलाओं के शैक्षिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्तर पर सुधार की अनिवार्यता को देखते हुए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है–

- **स्वालम्बन योजना (1982)**: इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं मे स्वरोजगार हेतु प्रेरित किया जाता है। इस योजना के सम्बन्ध में जरूरतमंद महिलाओं कमजोर वर्ग की महिलाओं की लक्षित किया जाता है।
- **इंदिरा महिला योजना (1995)**: ग्रामीण और शहरी बस्ती की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वालम्बन प्रदान।
- **महिला स्वशक्ति योजना (1998)** : महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त करना।
- **स्त्री शक्ति पुरस्कार योजना (2000)** : महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष करने वाली महिलाओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित कर प्रोत्साहन देना।
- **स्वाधार (2001)**: इसका उद्देश्य गम्भीर परिस्थितियों में स्थित महिलाओं को समग्र व समन्वित सहायता प्रदान करना है।
- **कस्तूरबा गांधी वालिका विद्यालय (2003)**: योजना के अन्तर्गत शिक्षा की दृष्टि से तथा आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में अनुसूचित जाति अनु० जनजाति तथा पिछड़े वर्गों अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले इलाकों में बालिकाओं का शैक्षिक पिछड़ापन दूर करने हेतु निःशुल्क आवासीय विद्यालय खोलकर गुणवतायुक्त बालिका खोलकर गुणवत्तायुक्त बालिका शिक्षा की व्यवस्था कराई जाती है।
- **वंदेमातरम योजना (2003)**: इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को निजी चिकित्सकों की सहायता से।
- **आशा योजना (2004)**: सभी गाँवों में एक्रिडेटिड सोशल हेल्थ वर्कर की तैनाती के माध्यम से घर–घर जाकर महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी व सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- **जननी सुरक्षा योजना (2005)**: योजना का उद्देश्य मातृत्व तथा शिशु मृत्यु दर से कमी लाना 19 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं के लिए यह योजना प्रभावी है।
- **गारण्टी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार (2006)**: इस योजना के अन्तर्गत मजदूरों की संख्या में कम से कम एक तिहाई महिलाओं को आवश्यक रूप से रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की गयी।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (2008)**: 40 से 64 आयु की विधवाओं को 400 रूपये की पेंशन 64 वर्ष की आयु के बाद उन्हें इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में शामिल किया जायेगा।
- **राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना (2010)**: इस योजना के अंतर्गत 11–18 वर्ष आयु की किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु आगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से पोषण संबंधी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
- **बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना (2012)**: 22 जनवरी 2015 बालिकाओं की कम संख्या की समस्या को दूर करना पूर्वाग्रसित मनोवृत्ति को समाप्त करना उत्तरजीविता शिक्षा, पोषण उनका संरक्षण।
- **वन स्टाप सेंटर (2015)**: 1 अप्रैल, 2015 को निर्भया फंड लागू की गई थी इस योजना के अन्तर्गत उन महिलाओं को शरण देती है, जो किसी प्रकार की हिंसा का शिकार होती है इसके तहत पुलिस कानूनी, चिकित्सा परामर्श सेवाएं देने का काम किया जाता रहा। इस योजना के लिए दो फ्री हेल्पलाइन नं० 181 है।
- **महिला शक्ति केन्द्र योजना (2017)**: इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से मशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है।
- **महिला एवं किशोरी सम्मान योजना (2020)**: इस योजना के तहत गांव–गांव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से। इस योजना के अंतर्गत हरियाणा राज्य की 10 से 45 वर्ष की महिलाओं

को मुफ्त में प्रतिमाह सेनेटर नैपकिन प्रदान किए जायेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में स्वास्थ्य को लेकर जागरुकता उत्पन्न करना।

संवैधानिक व्यवस्थाः

स्वतंत्रता के पूर्व देश में महिलाओं की दयनीय स्थिति को देखते हुए संविधान में महिलाओं को समाज के सभी क्षेत्रों में विकास हेतु अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है। महिला अधिकारों को संरक्षित करने तथा महिलाओं को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने वाली संवैधानिक का वितरण इस प्रकार है–

- अनुच्छेद–14: संविधान के इस अनुच्छेद में व्यक्ति को विधि के समक्ष समता अथवा विधि के समान संरक्षण का आदेश राज्य को आदेश दिया गया। यह महिला और पुरूष दोनों के मामले में लागू होता है।
- अनुच्छेद–15: इस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश इत्यादि आधारों पर विभेद न करने का निर्देश दिया गया है।
- अनुच्छेद–16: लोक नियोजन में पुरुष और महिला को समान अवसर दिये जाने का निर्देश है। समान कार्य के लिए समान वेतन का निर्देश भी इसी अनुच्छेद में है।
- अनुच्छेद–23–24: नारी के शोषण, बलात्कार, महिलाओं का क्रय–विक्रय इत्यादि घर रोक लगाए जाने का निर्देश है।
- अनुच्छेद–42: राज्य की ऐसी व्यवस्था का निर्देश है जिससे महिलाओं को प्रसूति काल में वे सुविधाएँ मिल सकें जो उन्हें मानवीय आधार पर मिलनी चाहिए।

पंचायत से संसद तक महिला सशक्तिकरणः

पंचायत में महिलाओं का 33 और फिर 50 प्रतिशत आरक्षण मिलने के बाद अब संसद में भी 33 प्रतिशत आरक्षण देने का विचार चल रहा है उस तरह देखें तो पंचायत से यह शुरूआत न हुई होती तो यह कदम संसद तक पहुँच पाएगा यह कहना मुमकिन नहीं था। महिलाएँ आज विश्व मतदाताओं का आधा हिस्सा बन चुकी है लेकिन इसमें से सिर्फ 18 फिसदी सांसद है। नार्डिक देशों में 41 प्रतिशत अमेरिकी देशों में 21.8 प्रतिशत यूरोपीय देशों में 19.2 प्रतिशत उपसहारा अफ्रीकी देशों में 17.2 प्रतिशत अरव देशों में 9.6 प्रतिशत भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय विधायिकाओं में भागीदारी के मामले में आंकड़ा मात्र 11.8 प्रतिशत है। देशभर में कुल 4118 विधानसभा सदस्यों में से केवल 9 प्रतिशत महिलाएं हैं। इस मामले में भारत दुनिया में 99वें स्थान पर है।

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के बजट अनुमान

महिला एवं बाल विकासः

1. बालिकाओं के प्रति आमजन की सकारात्मक सोच विकसित करने हेतु संचालित 'मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना'' के अंतर्गत प्रति लाभार्थी को 71रू0 15,000 तक की धनराशि से लाभान्वित किया जा रहा है वित्तीय वर्ष 2023–26 हेतु 1050 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
2. सभी वर्गों की पुत्रियों की शादी हेतु संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
3. अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों को शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित की है।
4. ग्रामीण महिलाओं को स्वालंबी बनाने के लिए महिला सामर्थ्य योजना के अंतर्गत महिला स्वयं सेवक सहायता समूहों के माध्यम से गठन किया जाता है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2023–2026 के बजट में 63 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
5. निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण अनुदान योजनान्तर्गत वर्तमान में 32 लाख 72 हजार निराश्रित महिलाओं को पेंशन दी जा रही है इस हेतु वर्ष 2023–2026 के बजट में 4032 करोड़ रूपयें को बजट व्यवथा प्रस्तावित है।
6. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं एवं धाती माताओं को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेश में जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, वाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि संचालित है।

7. प्रदेश में नियमित टीकाकरण के अंतर्गत अक्टूबर 2022 तक 95 प्रतिशत बच्चों को टीका लगाया गया मिशन इन्द्र धनुष के अन्तर्गत 36 लाख 82 हजार से अधिक बच्चों एवं 10 लाख 31 हजार से अधिक गर्भवती माताओं का टीकाकरण किया गया।
8. प्रदेश में कानून एवं शांति व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 03 महिला पी०ए०सी० वटालियन का गठन किया जा रहा है।

पंचायती राजः

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत वर्ष 2023–25 में 6,65,473 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण तथा 330 विकास खण्डों में प्लास्टिक मैनेजमेन्ट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है योजना हेतु 2,288 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अन्तर्गत पंचायतों के क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक डाचे की उपलब्धता हेतु 622 करोड़ रूपये की वजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 2478 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने हेतु 85 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गांवों में ई–गवर्नेस विस्तार करने हेतु डॉ0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिए 04 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजनान्तर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओंध्बालिकाओं को आर्थिक एवं चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा रहती है। वित्तीय वर्ष 2023–2024 हेतु इस योजनान्तर्गत 56 करोड़ रूपये की बजट प्रस्तावित है।
- बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं योजना के अन्तर्गत कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं यह योजना प्रदेश के 71 जनपदों में संचालित की जा रही है।
- आगनवाड़ी कार्यकत्रियों के लिए आयुष्मान भारत के अन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा हेतु 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्थापित पुष्टाहार उत्पादन ईकाईयों एवं नैफेड के माध्यम से ''टेक होम राशन'' के रूप में 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को अनुपूरक पुष्टाहार से लगभग 1 करोड़ 85 लाख लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा रहा है योजना हेतु वित्तीय प्रस्तावित है।

महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति

विभिन्न सरकारी प्रयासों के कारण आज महिला शिक्षा की दिशा में काफी प्रगति हुई है लेकिन प्रगति की यह चमक महानगरों और शहरों तक ही सीमित है। दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में तो आज भी स्थिति काफी निराशाजनक है। यदि हम उच्च शिक्षा में महिलाओं (17 से 21 वर्ष का आयु वर्ग) के प्रतिशत को देखें तो पता चलता है कि विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा प्राप्त महिलाओं की संख्या, सम्पूर्ण महिला जनसंख्या की केवल तीन प्रतिशत ही है। महानगरों और शहरों में स्थित काफी बदली है लेकिन कस्बों और गाँवों की महिलाएँ आज भी कला, शिक्षा या चिकित्सा के विषय ही पढ़ना चाहती हैं। महानगरों में महिलाएँ वाणिज्य, प्रबन्धन और जनसंचार जैसे आधुनिक विषय अधिक पढ़ रही हैं। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण में भी शहरी महिलाओं की संख्या ही अधिक है।

विभिन्न शैक्षणिक स्तरों पर लड़के–लड़कियों की प्रतिशत

शिक्षा का स्तर / प्रकार	लड़कों का प्रतिशत	लड़कियों का प्रतिशत
पी–एच०डी० / डी०फिल०	73.9	26.1
एम०ए०	62.2	37.8
एम०एस–सी०	68.4	31.6
बी०ए०	64.2	35.8
बी०एस–सी०	73.2	26.8
बी०एड० / बी०टी०सी०	59.1	41.9
एम०बी०बी०एस०	75.7	24.3
बी०काम०	86.0	14.0
बी०ई० (इंजी०)	96.5	03.5
तकनीकी प्रशिक्षण	80.9	19.01

स्रोत– शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 2021

महिला शिक्षा समस्याएँ और प्रवृत्तियाँ

आजादी के बाद भारत में महिला–शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है लेकिन अभी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है। इस 'साइबर युग' में भी स्थिति यह है कि कक्षा 1 से 5 तक तीन लड़कियों में से केवल एक लड़की स्कूल जाती है। इसी प्रकार कक्षा 5 से कक्षा 8 तक आठ लड़कियों में से पाँच लड़कियाँ ही स्कूल जाती हैं और उच्च माध्यमिक स्तर पर आठ में से केवल एक लड़की ही शिक्षा ग्रहण करती है। घर में छोटे भाई–बहनों के पालन–पोषण, घरेलू कामकाज और पैसे कमाने के लिए दूसरों के घरों में काम आदि निम्न वर्ग की लड़कियों द्वारा ही किया जाता है इसलिए इनके माता–पिता इन्हें स्कूल भेजने से कतराते हैं। एक बार नामांकन के बाद बीच में ही पढ़ाई छुड़वा देने की समस्या भी लड़कियों में अधिक पाई जाती है। शुरू में उत्साहित होकर लड़कियों को स्कूल में प्रवेश तो दिला दिया जाता है, लेकिन जब उनकी पढ़ाई के कारण घर के सामान्य कामकाज व आमदनी के स्रोत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है तो उनकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है। यही कारण है कि लगभग 70 प्रतिशत लड़कियाँ प्राथमिक शिक्षा के बाद स्कूल नहीं जा पातीं। चूँकि गाँवों तथा निम्नवर्गीय परिवारों में कम उम्र में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है, इसलिए उच्च–माध्यमिक स्तर पर भी लड़कियों की शिक्षा में काफी कठिनाई आती है। कुल नामांकन की केवल 12 प्रतिशत लड़कियाँ ही उच्च माध्यमिक स्तर पर अपनी पढ़ाई जारी रख पाती हैं।

सरकार तथा विभिन्न एजेन्सियों द्वारा चलाए जा रहे चेतना पैदा करने वाले कार्यक्रमों के कारण स्थिति में अब काफी सुधार दिख रहा है। गाँव के अनपढ़ माता–पिता भी अब अपनी बेटी को शहर के कॉलेज में भेजने का सपना देखने लगे हैं। महिला शिक्षा के प्रति लोगों का व्यवहार और दृष्टिकोण बड़ी तेजी से बदल रहा है। शिक्षा को जीवन की आम समस्याओं को सुलझाने के लिए अत्यन्त आवश्यक मान कर लड़कियों को उच्च शिक्षा दी जा रही है। आज लड़कियाँ इंजीनियरिंग, कृषि, वाणिज्य, विधि, प्रबन्धन और जनसंचार जैसे गैर–परम्परागत क्षेत्रों में भी आगे आ रही है। पहले महिलाएँ आर्थिक समस्याओं के चलते मजबूरी में ही घर की चारदीवारों को लांघ कर व्यावसायिक क्षेत्र में सक्रिय होती थी लेकिन अब महिलाएँ अपने आत्मसम्मान और सुनहरे भविष्य के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करती हैं और फिर विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में सक्रिय हो जाती हैं।

''पहले लड़कियों को शिक्षित करने का उद्देश्य होता था, उनके लिए एक पढ़ा–लिखा, अच्छा वर ढूँढ़ना। अभी कुछ समय पूर्व तक महिलाओं को शिक्षित तो किया जाता था, लेकिन उनसे नौकरी करवाना परिवार की शान के खिलाफ समझा जाता था। अब यह पुरातनपंथी दृष्टिकोण बदल रहा है। आज लड़कियों को अपनी मर्जी के विषय चुनने तथा अपनी इच्छा से नौकरी करने की आजादी दी जाने लगी है। पहले लड़की की नौकरी उसके विवाह में दिक्कतें पैदा करती थीं लेकिन अब 'कामकाजी वधू' को वरीयता दी जाती है, उसकी कामना की जाती है। आज आर्थिक मजबूरी न होने के बावजूद उच्च वर्ग की महिलाएँ उच्च व व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर समाज में अपनी स्वतंत्र पहचान बना रही हैं। कामकाजी महिलाओं के प्रति पुरुषों के रुख में भी अब सकारात्मक बदलाव आया है। कामकाजी महिलाओं की दिक्कतों को समझ कर परिवार की ओर से उन्हें पूरा सहयोग दिया जाता है, उनकी घरेलू जिम्मेदारियों को सीमित किया जा रहा है। इस कारण महिलाओं की समाज में स्वतंत्र गतिशीलता को मान्यता मिल रही है और उन पर से अनावश्यक सामाजिक बंधनों की जकड़ ढीली हो रही है। अभी तक महिला शिक्षा से सम्बन्धित ये बदलाव शहरों के मध्यम–वर्ग में ही अधिक तेजी से हो रहे हैं लेकिन गाँवों और निम्न वर्ग में भी बदलाव की यह बयार बहने लगी है हालाँकि उसकी गति अभी ध ीमी ही है।

राज्यवार साक्षरता दर (2011–2021)

राज्य / सं० रा०क्षेत्र	2010	2015	2020
केरल	90.92	94.20	87.86
मिजोरम	88.89	90.69	86.13
लक्षद्वीप	87.52	93.15	81.56
गोवा	82.32	88.88	75.51
दिल्ली	81.82	87.37	75.00
चण्डीगढ़	81.75	85.65	76.65
पांडिचेरी	81.49	88.89	74.13
अंडमान	81.18	86.07	75.29
दमन और दीव	81.09	88.40	70.37
महाराष्ट्र	77.27	86.27	67.51
हिमाचल प्रदेश	77.13	86.02	68.08
त्रिपुरा	73.66	81.47	65.41
तमिलनाडु	73.47	82.33	64.55
उत्तरांचल	72.28	84.01	60.26
गुजरात	69.97	80.05	58.60
पंजाब	69.95	75.73	63.55
सिक्किम	69.68	76.73	61.46
पश्चिम बंगाल	69.22	77.58	60.22
मणिपुर	68.87	77.87	59.70
हरियाणा	68.59	79.25	56.31
नागालैण्ड	67.11	71.77	61.92
कर्नाटक	67.04	76.29	57.45
छत्तीसगढ़	65.18	77.86	52.40
असम	64.28	71.93	56.03
मध्य प्रदेश	64.11	76.80	50.28
उड़ीसा	63.61	75.95	50.97
मेघालय	63.31	76.14	60.41
आंध्र प्रदेश	61.11	70.85	51.17
राजस्थान	61.03	76.46	44.34
दादर और नागर हवेली	60.03	73.32	42.99
उत्तर प्रदेश	57.36	70.23	42.98
अरुणाचल प्रदेश	54.74	64.07	44.24
जम्मू और कश्मीर	54.46	65.75	41.82
झारखण्ड	54.13	67.94	39.38
बिहार	47.53	60.32	33.57

विभिन्न राज्यों में महिला साक्षरता–दर स्पष्ट कर देती है कि महिलाओं तक विकास की कितनी चमक पहुँची है। देश में 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ आधी से ज्यादा महिला आबादी निरक्षर है और जो महिलाएँ साक्षर की श्रेणी में आती हैं उनकी गुणवत्ता का भी अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि मात्र अक्षर ज्ञान को ही हमारे यहाँ साक्षर मान लिया जाता है। वैसे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में महिला साक्षरता दर में कुछ उल्लेखनीय वृद्धि होगी क्योंकि सन् 2000 की जनसंख्या नीति और दसवीं पंचवर्षीय योजना में बालिका–शिक्षा के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।

नई जनसंख्या नीति में 14 वर्ष तक की आयु तक स्कूली शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने की बात कही गई थी इसी परिप्रेक्ष्य में अब प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया गया है। 86वें संविधान संशोधन (2002) द्वारा प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य बनाते हुए इसे मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 21(।) के अनुसार– ''सरकार, राज्य द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करेगी।'' इस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में एक नया अनुच्छेद 51(।) जोड़ कर अभिभावकों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने बच्चों को अनिवार्य रूप से स्कूल भेजेंगे। हरियाणा व उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में तो बालिकाओं के लिए स्नातक स्तर तक की शिक्षा मुफ्त कर दी गई है।

उपरोक्त चर्चा से स्पष्ट है कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे प्राथमिक शर्त उनकी शिक्षा ही है। यदि महिलाओं के बीच शिक्षा होगी, जागरुकता होगी तो उन्हें अपने अधिकारों का भी ज्ञान होगा। ऐसी जागरुक व शिक्षित महिला को फिर दबाने की कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। अगर औरतों के बीच शिक्षा होगी तो फिर वे आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनेंगी। अगर ऐसा हो गया तो फिर कोई कारण नहीं कि महिलाएँ, विकास की दौड़ में कहीं पीछे रह जाएँ। इस प्रकार जरूरत आज महिलाओं को शिक्षित बनाने की है, उन्हें जागरुक करने की है। डॉ0 सरिता किसी स्कूल में नहीं पढ़ाती लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत इरादे ने सैकड़ों लड़कियों को साक्षर ही नहीं बनाया बल्कि उन्हें उच्च शिक्षा की प्रेरणा देकर स्वावलम्बी भी बनाया। उन्होंने गाँव–गाँव जाकर महिलाओं के बीच बैठकर उन्हें शिक्षित न होने की दशा में आ रही मुश्किलों से अवगत कराया और उन्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर कर दिया।

निष्कर्ष

महिलाओं तथा बालिकाओं के विकास के लिए शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करने तथा भेदभाव को समाप्त करने शिक्षा का सुदृढ बनाने निरक्षरता को समाप्त करने महिलाओं के अनुकूल शिक्षा प्रणाली का निर्माण करने, स्कूलों में प्रवेश बढ़ाने शिक्षा स्तर में सुधार करने तथा शिक्षा के साथ–साथ महिलाओं के व्यवसायों, तकनीकी कौशलों के विकास टेक विशेष उपाय किए जाएंगे।

- शिशु तथा मातृ मृत्यु शीघ्र विवाह आदि की समस्याओं को निराकरण करने के लिए जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को कठोरतापूर्वक पालन करना और विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा।
- स्वास्थ्य के प्रति महिलाओं को विशेष ध्याय देना जिसने स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाएँ दोनों ही सम्मिलित है, मातृ मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर में कमी लाना क्योंकि ये मानव के समपूर्ण विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक है।
- जनसंख्या को नियन्त्रित करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (2000) के अनुसार महिलाओं और पुरूषों की परिवार नियोजन में अपनी पसंद के सुरक्षित तथा कारगर तथा सस्ते तरीके अपनाने की आवश्यकता को मान्यता प्रदान की गई है।
- महिलाओं की महत्वपूर्ण तीन अवस्थाएँ वाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था तथा प्रजननकाल में उनमें कुपोषण एवं बीमारी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी आवश्यक, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- स्तनपान एवं गर्भवती होनी वाली महिलाओं को विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पोषाहार शिक्षा का व्यापक उपयोग किया जा रहा है।
- ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में आवास नीतियों आवास कालोनियों की आयोजना तथा आश्रय के प्रावधान में महिला परिप्रेक्ष्यों को शामिल किया जायेगा। महिलाओं के लिए जिनमें एकल महिलाएँ परिवार की मुखिया महिलाएँ कामकाजी महिलाएँ छात्राएँ, प्रशिक्षु तथा प्रशिक्षार्थी महिलाएँ शामिल है, और सुरक्षित आवास प्रदान करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- महिलाओं को प्राद्योगिकी तथा विज्ञान में अधिक से अधिक भागीदारी के प्रयास किये जा रहे हैं तथा महिलाएँ जिस अनुरूप में कौशल प्राप्त है उन्हीं के अनुसार विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रदान की जा रही है।

- महिलाओं के साथ हो रहे सभी प्रकार के भेदभाव चाहे वह सामाजिक तथा पारिवारिक तथा उनके अधिकारों के उल्लंघन पर निराकरण तथा दण्डात्मक दोनों प्रकार की कार्यवाही पर विशेष रूप से ध्यान दिया रहा है। वे सभी उपाय जैसे कन्या भ्रूण हत्या, बालिका शिशु हत्या, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बाल वेश्यावृत्ति आदि की प्रथाओं के विरूद्ध कानूनों के कड़े परिवर्तन से संबंधित होगे।

Author's Declaration:

I/We, the author(s)/co-author(s), declare that the entire content, views, analysis, and conclusions of this article are solely my/our own. I/We take full responsibility, individually and collectively, for any errors, omissions, ethical misconduct, copyright violations, plagiarism, defamation, misrepresentation, or any legal consequences arising now or in the future. The publisher, editors, and reviewers shall not be held responsible or liable in any way for any legal, ethical, financial, or reputational claims related to this article. All responsibility rests solely with the author(s)/co-author(s), jointly and severally. I/We further affirm that there is no conflict of interest financial, personal, academic, or professional regarding the subject, findings, or publication of this article.

सन्दर्भ सूची :

1. पाण्डे जयनारायण (2000), भारत का संविधान, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी, इलाहाबाद, अनुच्छेद 6, पृ०सं0 480
2. कौशिक जगवीर (2010), पंचयतीराज से भारत में बदलाव की बयार कुरुक्षेत्र, अक्टूबर, पृ० 23
3. चौधरी आनन्द (1996), ''इम्प्रेविग फार रूरल वुमेन इन इण्डिया'', कुरुक्षेत्र।
4. महिपाल (2004), ''पंचायतीराज चुनौतियों एवं सम्भावनाएँ'', सारांश प्रकाशन, पृ० 15
5. सिंह, मीनाक्षी (2006), निशान्त महिला सशक्तिकरण का सच, ओमेगा प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ० 1–2
6. पाण्डेय आभा नारायण एवं वर्मा सर्वालिया बिहारी (2004), ग्रामीण विकास अविष्कार प्रकाशन, जयपुर।
7. जैन उर्मिला (2002), 'पंचायत में निर्वाचित महिलाएँ और ग्रामीण विकास', कुरुक्षेत्र वर्ष 47 (6) नई दिल्ली।
8. पंचायतीराज निदेशालय छठा तल, जवाहर भवन लखनऊ, पृ० 31, पूर्वोक्त, पृ०सं० 141
9. रविन्द्र शर्मा, ग्रामीण स्थानीय प्रकाशन, प्रिन्सबैल पब्लिशर्स, जयपुर, पृ० 120
10. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (इलेक्शन ऑफ प्रमुख एण्ड उपप्रमुख एण्ड सेटेलमेन्ट ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट), लखनऊ 1962, रूल न0 16
11. उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961, धारा 32
12. आलोक चेतनादित्य ''महिला सशक्तिकरण हमारे समाज का सहज स्वरूप अंक 08 मार्च 2016, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली
13. नीरा देसाई ''वीमेन एण्ड सोसाइटी'' एस०एन०डी०टी० बीमेन यूनिवर्सिटी, बम्बई
14. देसाई नीरा व ठार उषा (2009) भारतीय समाज में महिला, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली
15. राजकुमार (2005), ''नारी के बदलते आयाम'' 08 मार्च 2016, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली
16. राजकुमार (2003), भारतीय नारी सामाजिक अध्ययन, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली।
17. पवार योगिता महेश (2016), ''महिला सशक्तिकरण'' फिर भी मंजिल अभी बाकी', अंक 08 मार्च, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
18. पालीवाल, सुभाषिणी (2019), भारत में महिला शिक्षा और साक्षरता, कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, पृ०सं० 90

Cite this Article-

'प्रमोद सिंह प्रो0 उदयवीर सिंह, 'पंचायतीराज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण के विविध आयाम', Research Vidyapith International Multidisciplinary Journal (RVIMJ), ISSN: 3048-7331 (Online), Volume:2, Issue:06, June 2025.

Journal URL- https://www.researchvidyapith.com/

DOI- 10.70650/rvimj.2025v2i600017

Published Date- 10 June 2025